

टीक-राज
अतिरिक्त लिगा मजिस्ट्रेट
न्याय न्यायन अधिकारी एवं
(राजस्थान न्याय न्यायन)
अतिरिक्त लिगा मजिस्ट्रेट



विषय आज दिनांक 3.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सूनाया गया।

समाप्त रहना। पञ्चवली फ़ैसल कुमार होकर बाद तकनीक दाखिल दफ़्तर हो।
का कुछ अपनाते हुए प्रार्थना पर आरोपित ज़माना राशि माफ़ की जाती है तथा शेष निर्णय
द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते है तथा नरमायी
आरोपित शारित जमा करने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में हम न्यायालय द्वारा
प्रार्थना को बिना सूने ही निर्णय दिनांक 03.08.2022 पारित कर दिया गया था। प्रार्थना ने
पतीत होता है। प्रकरण में प्रार्थना को उचित सूनावाड का अवसर नहीं दिया गया था तथा
दोष सिद्ध नहीं होता है। वारंटी बिल के आधार पर प्रार्थना को जाम दिया जाना उचित
तथा उसी अवस्था में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रार्थना का
प्रार्थना ने वारंटी बिल के आधार पर निर्माता फर्म से वारंटी के आधार पर कय किया था
पया गया है। इसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माता फर्म की होती है न कि प्रार्थना की।
लाइट ब्रांड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिश्रण (Mis-Branded) स्तर का होना
होना की मूल पञ्चवली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना जिस सरसों तेल (अशोका
किया व प्रकरण से संबंधित न्यायालय द्वारा की मूल पञ्चवली का अवलोकन किया। न्यायालय
हमने आभिप्रायक प्रार्थना एवं परीकार सरकार की बहस सूनी एवं बहस पर मनन

करमाया जावे।

सही एवं विद्विग्न है। अतः प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन निरस्त
लाख रुपय) की शारित आरोपित की जा सकती है। प्रकरण का निर्णय दिनांक 03.08.2022
द्वारा 52 के अन्तर्गत ज़माना की श्रेणी में आता है जिसमें कमा: 3,00,000/- (अक्षर तीन
अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा
मिश्रण (Mis-Branded) स्तर का होना पया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक
प्रार्थना जिस सरसों तेल (अशोका लाइट ब्रांड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में
परीकार सरकार (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने अपनी बहस में कथन किया कि